


उनवान:- रंगलाल बगै० बनाम बत्तू बगै०
दावा बावत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक

फर्द अहकाम

15.01.2026

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 10.02.2026 को पेश हो।


(अमन चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

10²/₂₆

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील कोर्ट
उपस्थित। आर-आर गवाह पेश नहीं किये।
गवाहों को कोर्ट उपस्थित नहीं किये। वादी का
सबूत गवाहों एवं एजेंट निषेधाज्ञा अहकाम
केवली अहकाम एग्रीमेंट में उल्लिखित किया जाता है।
पत्रावली पेश गवाह कोर्ट गवाह लेकन
वर शक्ति दत्त दे।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला- करौली

DD